राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:– एफ.2 (क) (पी–191) अलेसे– I / दिनांक:– 12-5-2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 58/2015–16 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा श्री प्रहलाद राय सैनी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–I (लिंक नं. 378) का स्थानांतरण वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्री–चैक) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर से पुलिस अधीक्षक गृह विभाग झुंझुनु में रिक्त पद पर स्वयं की प्रार्थना के आधार पर किया गया था। श्री सैनी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मान्यनीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में याचिका संख्या 1107/2015 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.04.2016 के द्वारा उक्त स्थगन आदेश को खारिज कर दिया।

अतः श्री सैनी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते है कि वे अपनी उपस्थिति नवपदस्थापित विभाग पुलिस अधीक्षक, झुंझुनु में प्रस्तुत कर जरिये फैक्स अथवा ई–मेल के माध्यम से इस विभाग को अवगत करावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:– एफ.2 (क) (पी–191) अलेसे– I / 52 दिनांक:– 12-5-2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्री–चैक) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनु
3. श्री प्रहलाद राय सैनी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड़–I कार्यालय वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्री–चैक) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को पालनार्थ
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. विधि शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल

(डॉ0 मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)